समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

उपावंटन आदेश

वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष--2245--प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्यशीर्ष--0 बाढ़ चक्रवात आदि के लिए लघुशीर्ष--118--मछली पकडने के लिए खराब किश्तियों तथा उपकरण की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लि सहायकता उपशीर्ष--0001--क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मति/नये नावों का निर्माण विपत्र कोड--शीर्ष--2245021180001 वि शीर्ष--31--05--सहायक अनुदान परिसम्पत्तियो के निर्माण मे विभागीय पत्र संख्या 06 दिनांक 15.05.2013 द्वारा इस जिले को प्राप्त 20 लाख (बीस लाख) रूपये के अवशेष गो0 14.81 (चौदह लाख एकासी हजार) रूपये में से निम्न अंचल अधिकारियों द्वारा किये ग अधियाचना के आधार पर नाव मरम्मति/गढ़ाई/रंगाई आदि हेतु निम्न राशि उपावंटित की जाती है।

आवंटित राशि का व्यय उसी मद मे किया जाय, जिस मद के लिए राशि उपावंटित किया गया है। किसी भी अन्य मद इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होगें। आवंटित की गयी राशि निकासी यथा संभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गयी राशि का डी0सी विपत्र महालेखाकार कार्यालय, बिह पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण--प जिला आपदा प्रशाखा में भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही राशि व्यय नहीं होने की स्थिति में 31 जनवरी 2014 तक प्रत्यार्पण प्रतिवे समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में उपावंटित राशि का व्यय मानते सरकार को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा। व्ययगत की स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

क्र0	अंचल का नाम	पूर्व उपावंटन	वर्तमान उपावंटन	कुल उपावंटन
1	2	3	4	5
1	अंचल अधिकारी पहाड़पुर	9000.00	9000.00	18000.00
2	अंचल अधिकारी मेहसी	9000.00	5000.00	14000.00
3	अंचल अधिकारी मधुबन	15000.00	45000.00	60000.00
4	अंचल अधिकारी कोटवा	6000.00	10000.00	16000.00
	कुल–	39000.00	69000.00	108000.00

वर्तमान कुल उपावंटन 69,000.00 (उन्नहत्तर हजार) रूपये मात्र

आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 [वि0 (2)] दिनांक– 17–04–98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10/12/13

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 606/आ0प्र0,दिनांक 11-12-13

प्रतिलिपि:– अंचल पदाधिकारी पहाडपुर/मेहसी/मधुबन/कोटवा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी/चकिया/पकडीदयाल/ अरेराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला प्रबंधक, आई0 टी0,मोतिहारी को जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के ज्ञापांक 2016/गो0 दिनांक– 31.1 2013 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10/12/13

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

06-12-13